भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 1017
उत्तर देने की तारीखः 28.07.2021

देश में हाथ से मैला उठाने की प्रथा

1017. **श्री मल्लिकार्जुन खरगेः**
डॉ. एल. हनुमंतय्याः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान में हाथ से मैला उठाने के कार्य में शामिल लोगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान हाथ से मैला उठाने के कार्य में शामिल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कितने व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है, तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) पुनर्वास प्रक्रिया के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है और उनमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और
(ड.) सरकार द्वारा कामगारों का समुचित पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क): "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" मैनुअल स्कैवेंजिंग पर दिनांक 06.12.2013 से प्रतिबंध लगाता है। तत्समय अर्थात 2013 से पूर्व मैनुअल स्केवेंजिंग कार्य में लगे व्यक्तियों, जिन्हें वर्ष 2013 और 2018 के दो सर्वेक्षणों के अंतर्गत पहचाना गया था, उनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न **अनुबंध-I** मे दिया गया है।

(ख): मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण ऐसी किसी मृत्यु की कोई सूचना नहीं है।

(ग): विगत पांच वर्षों के दौरान मैनुअल स्कैवेंजरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र स्वरोजगार स्कीम (एसआरएमएस) के अंतर्गत पुनर्वास के लिए सहायता प्रदत्त मैनुअल स्कैवेंजरों की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ): विगत पांच वर्षों के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आवंटित निधियां और एनएसकेएफडीसी द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा निम्नवत है:-

क्र.सं.	विवरण	राशि (करोड़ रूपए में)
1.	एनएसकेएफडीसी को जारी निधियां	192.16
2.	एनएसकेएफडीसी द्वारा उपयोग की गई निधियां (पिछले वर्ष से अव्ययित बकाया सहित)	211.84

(ड.): मैनुअल स्कैवेंजरों के लिए समुचित पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए निम्न प्रमुख कदम उठाए गए हैं:-

(i) सभी अभिज्ञात और पात्र मैनुअल स्कैवेंजरों को 40,000/- रूपए की दर से एक बारगी नकद सहायता दी गई है।

(ii) लक्षित लाभार्थियों को उनके पुनर्वास के लिए उपलब्ध उपायों/कार्यक्रमों के बारे में उनकी बस्तियों/क्षेत्रों में जागरूकता शिविरों का आयोजन करके उन्हें जागरूक बनाया गया है।

(iii) मैनुअल स्कैवेंजरों और उनके आश्रितों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें प्रशिक्षण अवधि के दौरान 3000/- रूपए प्रतिमाह की दर से वजीफा प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन लाभार्थियों की योग्यता और अभिरुचि के अनुरूप ट्रेडों के अनुसार किया जा रहा है। कार्यक्रमों को उनकी बस्तियों के आस-पास आयोजित किया जा रहा है ताकि वे आसानी से कक्षाओं में उपस्थित हो सकें।

(iv) मैनुअल स्कैवेंजरों और उनके आश्रितों को 15 लाख रूपए तक की स्व-रोजगार परियोजनाओं के लिए 5 लाख रूपए तक का रियायती ऋण और कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाती है।

अनुबंध-I

देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग से संबंधित राज्य सभा में दिनांक 28.07.2021 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1017 के भाग (क)के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्यों द्वारा सूचित मैनुअल स्कैवेंजरों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	अभिज्ञात मैनुअल स्कैवेंजरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	2061
2	असम	4295
3	बिहार	137
4	छत्तीसगढ	3
5	गुजरात	108
6	झारखंड	281
7	कर्नाटक	3204
8	केरल	600
9	मध्य प्रदेश	560
10	महाराष्ट्र	7378
11	उड़ीसा	237
12	पंजाब	233
13	राजस्थान	2880
14	तमिलनाडु	425
15	उत्तर प्रदेश	37379
16	उत्तराखंड	6170
17	पश्चिम बंगाल	741
	कुल	**66692**

अनुबंध-II

देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग से संबंधित राज्य सभा में दिनांक 28.07.2021 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1017 के भाग (ग)के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

		विगत पांच वर्षों के दौरान पुनर्वास के लिए राज्य-वार और वर्ष-वार सहायता प्रदत्त मैनुअल स्कैवेंजर/आश्रित														
क्र.सं..	राज्य	कवरेज														
		एक मुश्त नकद सहायता					कौशल विकास प्रशिक्षण					स्व-रोजगार परियोजनाओं के लिए कैपिटल सब्सिडी				
		2016-2017	2017-2018	2018-19	2019-20	2020-21	2016-2017	2017-2018	2018-19	2019-20	2020-21	2016-2017	2017-2018	2018-19	2019-20	2020-21
1	आंध्र प्रदेश	8	2	1334	74	330	0	0	0	104	76	0	0	0	0	0
2	असम	0	144	538	188	3051	0	7	38	143	272	0	0	0	0	0
3	बिहार	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
4	छत्तीसगढ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	गुजरात	0	0	96	9	0	0	7	12	0	0	0	0	0	0	0
6	झारखंड	0	0	108	16	68	0	0	24	10	0	0	0	0	0	0
7	कर्नाटक	17	293	920	429	1046	0	51	29	0	171	0	0	0	0	0
8	केरल	0	0	504	14	0	0	0	161	153	0	0	0	0	0	0
9	मध्य प्रदेश	0	0	305	0	169	0	0	49	40	0	0	0	0	0	3
10	महाराष्ट्र	0	0	4605	1002	718	0	0	0	569	763	0	0	0	0	0
11	उड़ीसा	45	1	0	1	11	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
12	पंजाब	0	1	126	8	9	22	6	29	0	0	14	0	1	0	5
13	राजस्थान	104	23	2038	82	232	53	73	107	220	347	0	0	0	0	0
14	तमिलनाडु	108	38	41	27	14	0	0	29	0	0	0	0	0	75	3
15	उत्तर प्रदेश	1075	669	5154	11044	6267	4298	126	1041	833	3741	182	151	147	33	146
16	उत्तराखंड	0	0	1755	324	2775	0	1	163	460	735	0	0	3	0	0
17	पश्चिम बंगाल	0	0	555	28	2	0	35	0	0	99	0	0	0	0	0
कुल		1357	1171	18079	13246	14692	4373	334	1682	2532	6204	196	151	151	108	157

*****